न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– संजना जोशी आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या:– 130/2021

1. दारासिंह पुत्र श्री हजारीलाल जाति जाट निवासी वार्ड नं. 11 तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राजस्थान।

..... प्रार्थी

–:बनाम:–

1. परमानन्द पुत्र श्री राजाराम जाति मेड़राजपूत(सोनी) निवासी नजदीक राजस्थान डीजल सर्विस ट्रेक्टर मार्केट मण्डी पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा जिला हनुमानगढ ।

—— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क आर.टी.ए. बाबत् रास्ता स्वीकृति

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री धन्नाराम सुथार अधिवक्ता — प्रार्थी
2. श्री मदनलाल पारीक अधिवक्ता — अप्रार्थी सं. 1
3. राजपैरोकार तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा — अप्रार्थी सं. 2

–:निर्णय:– 20/10/23

प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के नाम से तहसील पीलीबंगा के चक 27 एस.टी.जी. के खाता संख्या 31 के प.न.36/317 (39) के किला नं. 7, 8, 13, 14, 17, 18 की कुल 1.518 हैक्टेयर नाली प्रथम खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। नकल जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 संलग्न वाद पत्र है।

अप्रार्थी सं. 1 के नाम की कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 27 एस.टी.जी. के खाता सं. 43 के प.नं. 36/317 (39) के किला नं. 21 ता 25/2 की 1.265 हैक्ट. व प.नं. 36/318 (48) के किला नं. 1 ता 15/2 की 3.795 हैक्ट. दोनों पत्थरों की कुल 5.060 हैक्ट. नाली प्रथम मय गै.मु. खाला खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड वाके है। जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 संलग्न प्रार्थना पत्र है।

प्रार्थी की भूमि तहसील पीलीबंगा के 27 एस.टी.जी. के खाता सं. 31 के प.नं. 36/317(39) के किला नं. 7, 8, 13, 14, 17, 18 की कुल 1.518 हैक्ट. नाली प्रथम खातेदारी(जिसका विवरण प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र की मद सं. 2 में किया है।) में आने जाने हेतु अप्रार्थी सं. 1 की भूमि चक 27 एस.टी.जी. के प. नं. 36/317(39) के किला नं. 24/0.003, 25/1/0.025 बैजानिब उत्तर दिशा की ओर से पूर्व–पश्चिम की लम्बाई दोनों किलों में से कुल 0.028 हैक्ट. रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है। चूंकि उक्त प्रार्थी को अपनी भूमि में आने जाने के लिए सुविधाजनक है तथा इसी रास्ता से होकर प्रार्थी काफी अरसा से अपनी भूमि में आते जाते रहे है तथा उपयोग व उपभोग करते आ रहे है।

यहाँ यह भी उल्लेख किया जाना समीचीन होगा कि भूमि में प.नं. 37/317(38) के किला नं. 5, 6, 15, 16 के पूर्व दिशा में व किला नं. 21 ता 25 में उत्तर दिशा की तरफ स्वीकृत रास्ता है। किला नं. 21 के चिपता हुआ अप्रार्थी सं. 1 के नाम प.नं. 36/317(39) के किला नं. 24/0.003, 25/0.025 इस प्रकार कुल 0.028 हैक्ट. बैजानिब उत्तर दिशा की तरफ प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता स्वीकृत हो जाने पर प्रार्थी भी अपनी भूमि में ट्रेक्टर ट्रॉली व अन्य औजार ले जाकर सुविधा पूर्वक काश्त कर सकेगा तथा अपनी भूमि तक आसानी से आवागमन हो सकेगा।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

प्रार्थी तहसील पीलीबंगा के चक 27 एस.टी.जी. के प.नं. 36/317(39) के किला नं. 24व 25 में से बैजानिब उत्तर दिशा की ओर से प्रत्येक किला में से 24/0.003, 25/1/0.025 हैक्ट. इस प्रकार दोनों किलों में से कुल 0.028 हैक्ट. रास्ता स्वीकृत करवाने का कानूनन अधिकारी है तथा प्रार्थी उक्त रास्ता के लिये अप्रार्थी सं. 1 को आम अवाप्तशुदा भूमि के बदले राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित डी.एल.सी. के मुताबिक राशि जमा करवाने के तैयार व रजामन्द है।

प्रार्थी ने उक्त भूमि में से रास्ता राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवाने के लिए अप्रार्थी सं. 1 को कहा तो अप्रार्थी सं. 1 पहले तो आजकल –आजकल का बहाना बनाते रहा व 15 दिवस पूर्व रास्ता स्वीकृत करवा

कर राजस्व रिकार्ड मे अकंन करवाने से साफ तौर से ईन्कार कर दिया बस यदि प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण है।

प्रार्थना पत्र मे वर्णित भूमि में से रास्ता स्वीकृत करवाने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें अप्रार्थी सं. 2 भू–धारक होने के कारण आवश्यक पक्षकार बनाया गया है।

यह भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 27 एस.टी.जी. में स्थित है। इसलिए प्रार्थना पत्र श्रीमानजी के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का है व प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद है।

लिहाजा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान कास्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसील पीलीबंगा के चक 27 एस.टी.जी. के प.नं. 36/317(39) के किला नं. 24/0.003, 25/1/0.025 में से बैजानिब उत्तर दिशा की ओर से से प्रकार दोनों किलों में से कुल 0.028 हैक्ट. रास्ता स्वीकृत करवाकर राजस्व रिकार्ड मे अकंन किये जाने के आदेश प्रदान करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किय गये। दिनांक 09.11.2021 को अप्रार्थी सं. 1 की ओर से श्री मदनलाल पारीक अधिवक्ता हाजिर आये। दिनांक 29.08.2023 को अप्रार्थी को जवाब हेतू अनेक अवसर दिये जाने पर जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया इसलिये जवाब बंद किया गया।

तहसीलदार पीलीबंगा से पत्रांक रीडर/2022/730 दिनांक 08.09.2022 द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई। रिपोर्ट तहसीलदार अनुसार प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ता मौका पर चालू नहीं है। मौका पर धान की फसल काश्त है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते में आने वाली भूमि के समस्त काश्तकार को पक्षकार बनाया गया। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा उस भूमि में पूर्व में कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नहीं है। प्रार्थी द्वारा अपने उपरोक्त रकबा के लिउए प.नं. 36/317(19) के किला नं. 24/0.003, 25/1/0.025 उत्तर दिशा में पूर्व से पश्चिम लम्बाई में संलग्न नजरी नक्शा अनुसार रास्ता चाहा है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर चालू नहीं है।

—:: आदेश ::—

बहस उभयपक्ष सुनी गयी। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्यों, दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क आर.टी.ए. मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट पत्रांक रीडर/2022/730 दिनांक 08.09.2022 व धारा 251 (क) के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता स्वीकृत किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र साबित होने के कारण अप्रार्थी की कृषि भूमि चक 27 एस.टी.जी. के प.नं. 36/317 (39) के किला नं. 24/0.003, 25/1/0.025 में से बैजानिब उत्तर दिशा की ओर इस से प्रकार दोनों किलों में से कुल 0.028 हैक्ट. रास्ता स्वीकृत जाता है तथा प्रार्थी द्वारा उक्त रास्ता की 24/0.003, 25/0.025 की कुल 0.028 हैक्टेयर भूमि की एवज में भूमि की डी.एल.सी. दर का दोगुना राशि खजाना राज में प्रतिकर के रूप में जमा करावें।

तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा द्वारा आदेशानुसार राशि खजाना राज में प्रतिकर के रूप में जमा करवाकर रास्ते की भूमि का कोई स्थगन आदेश नहीं हो तो नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो। आदेश आज दिनाक 20/10/23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Sanjana
20/10/23

(संजना जोशी)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर
पीलीबंगा

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा